न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 03/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री धर्मेन्द्र दत्तक पुत्र नाथू जाति मीणा निवासी सांवतसर तहसील किशनगढ
2. श्री कमला पुत्री नाथू जाति मीणा निवासी सांवतसर तहसील किशगनढ
3. श्री रामनारायण पुत्र सूजा कोम मीणा निवासी मोरड़ा तहसील जयपुर जिला जयपुर
4. आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री ओमप्रकाश गुर्जर ऐडवोकेट	राजकीय अभिभाषक
श्री राजदीप सिंह चौधरी	अभिभाषक अप्रार्थी 1,2
श्री इन्द्रेश के रामचंदानी	अभिभाषक अप्रार्थी 04

आदेश

दिनांक –03.09.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 0–07 किस्म गै. मु. चाह जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 181 में धर्मेन्द्र दत्तक पुत्र नाथू हिस्सा 1/4 व कमला पुत्री नाथू हिस्सा 3/4 जाति मीणा सादे खातेदार दर्ज है एवं खसरा नम्बर 532 रकबा 7–17–16 नामांन्तरण संख्या 2206 निर्णय दिनांक 29.06.2017 खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 नामान्तरण संख्या 1145 निर्णय दिनांक 30.03.2003 से धारा 90 बी के तहत आबादी प्रयोजनार्थ नगर परिषद किशनगढ के नाम दर्ज है, खसरा नम्बर 532/1 रकबा 00–16–04 नामान्तरण संख्या 1882 निर्णय दिनांक 26.12.2011 भूमि अवाप्ति से भारतीय रेल के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत् 2010 से 2019 में मन्दिर श्रीनाथ महाराज स्थान किशनगढ के नाम खुद काश्त के रूप में खाता संख्या 204 में खसरा नम्बर 939 रकबा 2–03–00 किस्म बंजर दोयम खसरा नम्बर 940 रकबा 00–06–00 किस्म बंजर दोयम खसरा नम्बर 941 रकबा 1–11–00 किस्म चाही अव्वल खसरा नम्बर 942 रकबा 2–01–00 किस्म चाही अलिफ 1–16–00, बंजर अव्वल 00–05–00 खसरा नम्बर 943 रकबा 00–07–00 किस्म चाही अलिफ खसरा नम्बर 944 रकबा 1–15–00 किस्म चाही अलिफ 01–09–00, बंजर अव्वल 00–06–00 खसरा नम्बर 945 रकबा 00–11–00 किस्म चाही अलिफ 00–09–00 बंजर अव्वल 00–02–00 खसरा नम्बर 946 रकबा 00–08–00 किस्म गै.मु. बावडी खसरा नम्बर 948 रकबा 00–14–00 किस्म बंजर अव्वल दर्ज है। एकीकरण अभिलेख संवत 2019 के खाता संख्या 310 में खसरा नम्बर 531 रकबा 00–08–00 किस्म चा, बावडी खसरा नम्बर 532 रकबा 08–14–00 किस्म चाही अलिफ 04–01–00, चाही अव्वल 01–11–00, बंजर अव्वल 00–13–00, बंजर दोयम 02–09–00 खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 किस्म बंजर अव्वल माफी

जिला कलक्टर
अजमेर

मन्दिर श्री नाथ जी महाराज स्थान किशनगढ माफीदार खुद काश्त के रूप में दर्ज है। भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 946 रकबा 00–08–00 के एकीकरण खसरा नम्बर 531 रकबा 00–07–00 दर्ज है एवं सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 939 रकबा 2–03–00, खसरा नम्बर 940 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 941 रकबा 1–11–00, खसरा नम्बर 944 रकबा 1–15–00, खसरा नम्बर 942 रकबा 2–01–00, खसरा नम्बर 943 रकबा 00–07–00, खसरा नम्बर 945 रकबा 00–11–00 कुल किता 7 कुल रकबा 8–14–00 के एकीकरण खसरा नम्बर 532 रकबा 8–14–00 एवं सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 948 रकबा 00–14–00 के एकीकरण खसरा नम्बर 934 रकबा 00–14–00 दर्ज है। वर्किंग अभिलेख सम्वत 2041 के खाता संख्या 102 में नाथू पिता भूरा कौम मीणा सा देह खातेदार दर्ज है। वर्किंग मिलान क्षेत्रफल अनुसार एकीकरण खसरा नम्बर 531 रकबा 00–07–00 व खसरा नम्बर 532 रकबा 08–14–00, खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 के वर्तमान 531 रकबा 00–07–00 व खसरा नम्बर 532 रकबा 08–14–00 खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 दर्ज है। ग्राम सांवतसर के नामान्तकरण संख्या 191 स्वीकृत दिनांक 12.03.1984 से उक्त खसरा नम्बर भूमि मन्दिर श्रीनाथ जी महाराज स्थान किशनगढ माफीदार खुद काश्त से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ की डिग्री से मुकदमा नम्बर 41/1964 निर्णय दिनांक 29.03.1971 में नाथू मीणा को खातेदार घोषित किये जाने से नाथू पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सांवतसर खातेदार दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 किस्म बंजर 1 नामान्तकरण संख्या 288 स्वीकृत दिनांक 17.12.1990 विक्रय से रामनारायण पुत्र सूजा कौम मीणा निवासी मोरडा तहसील जयपुर खातेदार के नाम दर्ज हुआ। जरिये विक्रय पत्र नामान्तकरण संख्या 288 दिनांक 17.12.1990 से खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 नाथू पुत्र भूरा जाति मीणा के स्थान पर रामनारायण पुत्र सूजा कोम मीणा निरवासी मोरडा तहसील जयपुर के हक में स्वीकार हुआ। विरासत नामान्तकरण संख्या 962 दिनांक 21.11.1997 जरिये गोदनामा खसरा नं. 531 व 532 पर नाथू के स्थान पर धर्मेन्द्र दत्तक नाथू नाबालिग संरक्षक नाथूलाल, सूरज, मनभर, कमला पुत्रियां नाथू कोम मीणा के नाम दर्ज हुआ। जरिये नामान्तकरण संख्या 1169 दिनांक 27.07.2002 रिलीज से नाबालिग धर्मेन्द्र दत्तक पुत्र नाथू जरिये संरक्षक नाबा हि. 1/4 कमला पुत्री नाथू हि. 3/4 कोम मीणा दर्ज होना स्वीकार हुआ। मन्दिर मूर्ति अव्यस्क होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1)(अ) के तहत मन्दिर भूमि पर अन्य व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से मन्दिर भूमि को अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करना प्रतिबंधित था। अतः वर्तमान जमाबंदी में अंकित खातेदारो की खातेदारी निरस्त करवाकर भूमि मन्दिर मूर्ति के नाम वापस मुताबिक जमाबंदी संवत 2010 से 2019 के इन्द्राज करवाने की स्वीकृति बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से राजदीप सिंह चौधरी अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से श्री इन्देश के रामचंदानी अभिभाषक उपस्थित आये जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

पेरोकार सरकार ने सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकट किया कि ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 0–07 किस्म गै. मु. चाह जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता संख्या 181 में धर्मेन्द्र दत्तक पुत्र नाथू हिस्सा 1/4 व कमला पुत्री नाथू हिस्सा 3/4 जाति मीणा सादे खातेदार दर्ज है एवं खसरा नम्बर 532 रकबा 7–17–16 नामांन्तरण संख्या 2206 निर्णय दिनांक 29.06.2017 खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 नामान्तरण संख्या 1145 निर्णय दिनांक 30.03. 2003 से धारा 90 बी के तहत आबादी प्रयोजनार्थ नगर परिषद किशनगढ के नाम दर्ज है, खसरा नम्बर 532/1 रकबा 00–16–04 नामान्तरण संख्या 1882 निर्णय दिनांक 26. 12.2011 भूमि अवाप्ति से भारतीय रेल के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत् 2010 से 2019 में मन्दिर श्रीनाथ महाराज स्थान किशनगढ के नाम खुद काश्त के रूप में खाता संख्या 204 में खसरा नम्बर 939 रकबा 2–03–00 किस्म बंजर दोयम खसरा नम्बर 940 रकबा 00–06–00 किस्म बंजर दोयम खसरा नम्बर 941 रकबा 1–11–00 किस्म चाही अव्वल खसरा नम्बर 942 रकबा 2–01–00 किस्म चाही अलिफ 1–16–00, बंजर अव्वल 00–05–00 खसरा नम्बर 943 रकबा 00–07–00 किस्म चाही अलिफ खसरा नम्बर 944 रकबा 1–15–00 किस्म चाही अलिफ 01–09–00, बंजर अव्वल 00–06–00 खसरा नम्बर 945 रकबा 00–11–00 किस्म चाही अलिफ 00–09–00 बंजर अव्वल 00–02–00 खसरा नम्बर 946 रकबा 00–08–00 किस्म गै.मु. बावडी खसरा नम्बर 948 रकबा 00–14–00 किस्म बंजर अव्वल दर्ज है। एकीकरण अभिलेख संवत 2019 के खाता संख्या 310 में खसरा नम्बर 531 रकबा 00–08–00 किस्म चा, बावडी खसरा नम्बर 532 रकबा 08–14–00 किस्म चाही अलिफ 04–01–00, चाही अव्वल 01–11–00, बंजर अव्वल 00–13–00, बंजर दोयम 02–09–00 खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 किस्म बंजर अव्वल माफी मन्दिर श्री नाथ जी महाराज स्थान किशनगढ माफीदार खुद काश्त के रूप में दर्ज है। भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल के अनुसार सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 946 रकबा 00–08–00 के एकीकरण खसरा नम्बर 531 रकबा 00–07–00 दर्ज है एवं सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 939 रकबा 2–03–00, खसरा नम्बर 940 रकबा 00–06–00, खसरा नम्बर 941 रकबा 1–11–00, खसरा नम्बर 944 रकबा 1–15–00, खसरा नम्बर 942 रकबा 2–01–00, खसरा नम्बर 943 रकबा 00–07–00, खसरा नम्बर 945 रकबा 00–11–00 कुल किता 7 कुल रकबा 8–14–00 के एकीकरण खसरा नम्बर 532 रकबा 8–14–00 एवं सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 948 रकबा 00–14–00 के एकीकरण खसरा नम्बर 934 रकबा 00–14–00 दर्ज है। वर्किंग अभिलेख सम्वत 2041 के खाता संख्या 102 में नाथू पिता भूरा कौम मीणा सा देह खातेदार दर्ज है। वर्किंग मिलान क्षेत्रफल अनुसार एकीकरण खसरा नम्बर 531 रकबा 00–07–00 व खसरा नम्बर 532 रकबा 08–14–00, खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 के वर्तमान 531 रकबा 00–07–00 व खसरा नम्बर 532 रकबा 08–14–00 खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 दर्ज है। ग्राम सांवतसर के नामान्तकरण संख्या 191 स्वीकृत दिनांक 12.03.1984 से उक्त खसरा नम्बर भूमि मन्दिर श्रीनाथ जी महाराज स्थान किशनगढ माफीदार खुद काश्त से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ की डिग्री से मुकदमा नम्बर 41/1964 निर्णय दिनांक 29.03.1971 में नाथू मीणा को खातेदार घोषित किये जाने से नाथू पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सांवतसर खातेदार दर्ज हुआ। खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 किस्म बंजर 1 नामान्तकरण

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

संख्या 288 स्वीकृत दिनांक 17.12.1990 विकय से रामनारायण पुत्र सूजा कौम मीणा निवासी मोरडा तहसील जयपुर खातेदार के नाम दर्ज हुआ। जरिये विकय पत्र नामान्तकरण संख्या 288 दिनांक 17.12.1990 से खसरा नम्बर 534 रकबा 00–14–00 नाथू पुत्र भूरा जाति मीणा के स्थान पर रामनारायण पुत्र सूजा कोम मीणा निरवासी मोरडा तहसील जयपुर के हक में स्वीकार हुआ। विरासत नामान्तकरण संख्या 962 दिनांक 21.11.1997 जरिये गोदनामा खसरा नं. 531 व 532 पर नाथू के स्थान पर धर्मेन्द्र दत्तक नाथू नाबालिग संरक्षक नाथूलाल, सूरज, मनभर, कमला पुत्रियां नाथू कोम मीणा के नाम दर्ज हुआ। जरिये नामान्तकरण संख्या 1169 दिनांक 27.07.2002 रिलीज से नाबालिग धर्मेन्द्र दत्तक पुत्र नाथू जरिये संरक्षक नाबा हि. 1/4 कमला पुत्री नाथू हि. 3/4 कोम मीणा दर्ज होना स्वीकार हुआ। मन्दिर मूर्ति अव्यस्क होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 (1)(अ) के तहत मन्दिर भूमि पर अन्य व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से मन्दिर भूमि को अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करना प्रतिबंधित था। अतः वर्तमान जमाबंदी में अंकित खातेदारो की खातेदारी निरस्त करवाकर भूमि मन्दिर मूर्ति के नाम वापस मुताबिक जमाबंदी संवत 2010 से 2019 के इन्द्राज करवान की स्वीकृति प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अजमेर जिले में भूमि एकीकरण की कार्यवाही कभी भी सम्पादित नहीं हुई थी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 नाथू मीणा ने एक राजस्व वाद संख्या 41/1964 नाथू मीणा बनाम मंदिर श्री नाथ जी महाराज किशनगढ के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 90, 91 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जो दिनांक 27.3.1971 को स्वीकार होकर बाद वादी के पक्ष में डिग्री किया गया एवं वादी जो एक अनुसूचित जनजाति का काश्तकार था के पक्ष में न्यायालय द्वारा डिग्री जारी की गई। डिग्री की अनुपालना में भूमि धारक तहसीलदार किशनगढ ने आदेश की अनुपालना में बाद जांच नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 12.03.1984 को तत्कालीन खातेदार काश्तकार के हक में स्वीकृत किया गया उक्त डिग्री व नामांतकरण संख्या 191 दिनांक 12.3.1984 को किसी भी पक्षकार ने किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती आज दिवस तक नहीं दी गई। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंन्स प्रकरण कालावधि एवं विधि के अज्ञापक प्रावधानो के प्रतिकूल प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि प्रार्थी के पक्ष में खातेदारो द्वारा धारा 90 बी के तहत समर्पित की जा चुकी है एवं समर्पण नामा भूमिधारक द्वारा स्वीकार किया जाकर जवाब कुन्निदागण के खातेदारी हक हकूको का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत हो चुका है एवं अब किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार शेष नहीं बचे है। भूमि की किस्म अब कृषि नहीं होकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ हो चुकी है एवं उक्त भूमि को ले आउट प्लान राज्य सरकार से स्वीकृत होकर मौके पर भूखण्डो की लीज भिन्न व्यक्तियों के हक में निष्पादित हो चुकी है। इस कारण रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है। अतः प्रकरण खारिज फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब प्रस्तुत कर खसरा संख्या 532 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा 16 बिस्वान्सी एवं खसरा संख्या 534 रकबा 14 बिस्वा नगर परिषद किशनगढ में हर प्रकार के विलंगमो से मुक्त होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रभावी प्रावधान धारा 90 (अ) व 90 (ब) के तहत कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उक्त प्रार्थना पत्र संस्थन के पूर्व ही निहित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जा चुकी

जिला कलक्टर
अजमेर

है। जिस परिपेक्ष में जब रेफरेन्स अधीन भूमि की श्रेणी कृषि नही होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) से भिन्न श्रेणी के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रभावी नहीं होते है। अतः भूमि की श्रेणी कृषि नही होकर आवासीय प्रयोजनार्थ हो चुकी थी जिसका पट्टा विलेख जारी किया जा चुका था। अतः ऐसी परिस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (ब) के प्रावधान भी प्रभावी नहीं होते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन अनुसार प्रश्नगत आराजी, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2010 से 2019 के खाता संख्या 204 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 948 रकबा 09–16–00 बीघा जो की मन्दिर श्री नाथ महाराज स्थान किशनगढ के नाम दर्ज थी चूंकि मन्दिर श्री नाथ महाराज शाश्वत अव्यस्क है। मूर्ति स्वयं भूमि पर काश्त नहीं कर सकती। अतः उसकी व्यवस्था पुजारी द्वारा की जाती है व पुजारी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि पर की गई काश्त मंन्दिर मूर्ति के लिये धारा–46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन उप–काश्तकार की हैसियत से की गई काश्त मानी जावेगी। ऐसे उप–काश्तकार को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित नहीं हो सकते है। विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं कानूनी नजीरें RRT 2006(1) page 467-470, RRD 2000 page 229-231. RBJ (5)1998 page 384-391के RRD 1997 page 158-163 प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होतें है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उद्धरण मन्दिर भूमि के परिपेक्ष्य में उनकी मदद नहीं करते है। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 के अनुसार हर एक मन्दिर पब्लिक ट्रस्ट है, जो Open for the Community at Large for Worship है। विधि अनुसार मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है, जो स्वयं काश्त करने की स्थिति में नहीं है और खुद ही पुजारी, व्यवस्थापक के जरिये या किसी अन्य व्यक्ति के जरिये अपनी भूमि पर काश्त करवाता है, क्योंकि वह स्वयं काश्त करने में असमर्थ हैं। अतः माफी रिज्यूम होने के समय भी मंदिर स्वयं काश्त न करता हो और मंदिर की खुदकाश्त में भूमि दर्ज न हो तो भी मंदिर की खुदकाश्त की भूमि मानी जावेगी (Deemed to be khudkast) और किसी भी पुजारी, सब–टीनेन्ट, जैली या कब्जेधारी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(25) के अन्तर्गत भूमि मूर्ति की खुद काश्त मानी जायेगी। मंदिर भूमि के खातेदारी अधिकार उसके कृषक को हस्तान्तरित नहीं हो सकतें है। कृषक के नाम खातेदारी इन्द्राज किया जाना पूर्णतया अवैधानिक है। उक्त अवैधानिक इन्द्राज के पश्चात किया गये विक्रय एवं उनके आधार पर किये गये इन्द्राज को भी विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। फलस्वरूप प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत मंदिर भूमि मन्दिर श्री नाथ महाराज स्थान किशनगढ बाबत पारित अन्य खातेदारों के विक्रय/रहन/उपहार इत्यादि दर्ज समस्त नामान्तरकरण को अवैध एवं एब इनिशियोंवॉईड करार दिया जाने एवं ग्राम किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर के प्रश्नगत आराजी को राजस्व रेकार्ड में मुताबिक जमाबंदी खतौनी संवत 2010 से 2019 में दर्ज खाता संख्या 204 मे दर्ज खसरा नम्बरान् उक्त मन्दिर श्री

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

नाथ जी महाराज स्थान किशनगढ के इन्द्राज अनुसार वर्तमान रेकार्ड में भी उक्त मन्दिर श्री नाथ जी महाराज स्थान किशनगढ का अंकन करने हेतु उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर